(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 11/2025-State Tax(Rate)

Dated: 22/09/2025

No. F.3 (23)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ **926**- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 in the notification No.03/2017-State Tax (Rate), dated the 30thJune, 2017, published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), *vide* number F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/373, dated the 30thJune, 2017, namely,

in the said notification, in the TABLE, against S.No. 1, for the entry in column (4), the entry "9%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of September, 2025.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Mangej Singh) Dy. Secretary (Fin.)

The principal notification No. 03/2017-State tax (rate), dated the 30thJune, 2017 was published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, section 3, sub-section(i), vide number F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated the 30thJune, 2017 and was last amended, by notification No.08/2022-State tax (rate), Dated the 12th October,2022 ,published in the Gazette of NCT of Delhi, extraordinary, Part IV, Section 3, sub-section(i), vide number F.3(20)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/820.

Copy forwarded for information to:-

- 1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- 2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
- 3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 11. Website.

12. Guard File.

(Mangej Singh) Dy. Secretary (Fin.)

Dated: 22/09/2025

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय-।) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई .पी .एस्टेट : नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 11/2025-राज्य कर (दर)

दिनांक :22/09/2025

फा0सं0 3(23)/वित्त(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/926 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/373 के द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 03/2017- राज्य कर (दर) के द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में निम्नलिखित और

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 को लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, के आदेश से तथा उनके नाम पूर

दिनांक: 22/09/2025

(मंगेज सिंह) उप-सचिव (वित्त)

मूल अधिसूचना संख्या 03/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 30 जून, 2017 की फा0 सं0 3(15)/वित्त(राज0-I)/2017-18/डीएस-VI/382, के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार फा0 सं0 3(20)/वित्त(व्यय0-I)/2022-23/डीएस-VI/820 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 08/2022-राज्य कर (दर) के द्वारा संशोधित किया गया था।

फा. सं. ३ (२३)/वित्त(व्यय-I)/२०२५-२६/डीएस-I/ *९२६*

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।

2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।

3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।

4. नि. सं., नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।

6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।

7. सचिव (सा.प्रशा.वि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस अनुरोध के साथ आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।

8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।

- 9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली। 10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई
- ११. वेबसाइट।

१२. गार्ड फ़ाइल ।

(मंगेज सिंह) उप-सचिव (वित्त)